(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

जी. संख्या -100 नई दिल्ली, 11 मई 2011

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48,49 और 50 के द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्‌वारा नव मंगलूर पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान की वैधता के अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला संख्या. टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी

आदेश

(मई, 2011 के दूसरा दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने नव मंगलूर पत्तन न्यास की प्रचलित दरमान को दिनांक 11 मई , 2006 के आदेश संख्या टीएएमपी /42/2005-एनएमपीटी के माध्यम से पिछली बार अनुमोदित किया था और 31 मार्च 2009 तक वैधता निर्धारित की गई थी ।

2. दिनांक 31 मार्च 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी के माध्यम से प्रचलित दरमान की वैधता 30 सितंबर, 2010 तक बढ़यी गयी है।

3. नियमित रूप से अनुवर्तन करने के बाद, अपने पत्र दिनांक 30 सितंबर,2010 के माध्यम से एसओआर संशोधन के लिए एनएमपीटी ने अपना प्रस्ताव दाखिल किया जिसे प्रशुल्क मामला के रूप में पंजीकृत किया गया है और परामर्श के लिए रखा गया है। चूँकि पत्तन ने अपने प्रस्ताव के साथ उप-कार्यकलाप वार लागत विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया था। पत्तन को इन सभी विवरण को प्रस्तुत करने के लिए सलाह दिया गया था। इस संबंध में अनैक अनुस्मारके भी भेजे गए । पत्तन की प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है। प्रस्ताव की प्रारंभिक संवीक्षा के उपरांत ही संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई का गठन किया जा सकता है। पत्तन के द्वारा बुनियादी सूचना की पूर्ति न होने के कारण संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई को अस्थगिति किया गया है।

4. पत्तन की ओर से आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने में विलम्ब की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं प्रस्ताव परीक्षण के लिए , वैधानिक या कानूनी कार्यवाही में लगनेवाले अपेक्षित समय को स्वीकार करते हुए , यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता के समाप्त तिथि से 30 सितबंर ,2011 तक अथवा दरमान संशोधन की प्रस्ताव पर अंतिम निपटान, इसमे से जो भी पहले हो, अवधि तक बढ़ाता है।

5. इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, यदि 1 अप्रैल,2010 के बादवाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष